भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 358*

जिसका उत्तर बुधवार, 05 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

घरेलू मांग को सीमित करने वाले कारण

358*. श्री बी. के. हरिप्रसाद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी खरीद नीतियों में घरेलू मूल्य वर्धन की तरफ नकारात्मक रवैया, ठेके की कठिन शर्तें, निरंतर आयात तथा पुरानी मशीनरी का उपयोग जिसे बदलने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, "परियोजना आयात" के अंतर्गत शून्य आयात शुल्क और परियोजना कार्यान्वयन में विलंब घरेलू मांग को सीमित करने वाले प्रमुख कारण हैं; और

(ख) मंत्रालय द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

"घरेलू मांग को सीमित करने वाले कारण" के बारे में श्री बी. के. हरिप्रसाद द्वारा दिनांक 05.04.2017 के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 358* के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार ने राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति 2016 प्रकाशित की है जिसमें केपिटल गुड्स उद्योग में घरेलू मांग को सीमित करने वाले कतिपय मुख्य कारणों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कठिन अनुबंधन शर्तों, घरेलू मूल्यवर्धन के लिए सीमित सकारात्मक क्रेताओं, पुरानी मशीनरी के आयात, 'परियोजना आयात' के तहत शून्य शुल्क आयात और परियोजना कार्यान्वयन में विलंब की पहचान की गई है।

(ख): भारत सरकार ने हाल ही में संसोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 प्रकाशित की है जिसमें सार्वजनिक अधिप्राप्ति में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नियम 153(iii) के अंतर्गत एक समर्थकारी प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान निम्नानुसार पठित है:

> "केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा, बोलीदाताओं की किसी भी श्रेणी से किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं की अनिवार्य अधिप्राप्ति का प्रावधान कर सकती है अथवा स्थानीय रूप से विनिर्मित सामानों अथवा स्थानीय रूप से उपलब्ध सेवाओं को बढ़ावा देने के आधार पर बोलीदाताओं को अधिकार प्रदान कर सकती है।"

केपिटल गुड्स सेक्टर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग का विकास करने के लिए भारी उद्योग विभाग में एक अंतरमंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) गठित की गई है। इस समिति को सार्वजनिक अधिप्राप्ति संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने, पुराने केपिटल गुड्स के आयात के मुद्दों का निवारण करने तथा कच्चे माल एवं केपिटल गुड्स के घटकों, जिन पर तैयार सामानों के आयात की तुलना में सदैव ही कम कर लगाए जाने की आवश्यकता है, के आयात पर शुल्क ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। इस समिति की पहली बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

****